

vkf/ki R; gLrkj.k dh l puk dk i =

प्रति,

आयुक्त
नगर पालिक निगम, रायपुर

मेंआत्मजानिवासी

एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 167 के अधीन भूमी भवन के हक या भूमि/भवन के किसी भाग के अंश के हक अन्तरण की सूचना देता हूँ। सुसंगत जानकारी निम्नानुसार है:-

- 1.(अ) हस्तांतरणकर्ता का नाम ,पिता का नाम तथा पता सहित
- (ब) संबंधित भवन,भूमि निगम में जिस नाम से दर्ज हो उस व्यक्ति का नाम
- 2.हस्तांतरिणी,प्राप्तकर्ता या क्रेता का नाम ,पिता का नाम तथा पता सहित
- 3.संपत्ति का वर्णन
(क) भूमि (ख) भवन
- 4.स्थिति वार्ड क्रमांक व नाम
- भवन क्रमांक
- 5.(क) नगर पालिक निगम द्वारा उस पर कर लगाया गया है या नहीं
- (ख) यदि कर लगाया गया है तो उस अन्तिम रसीद की प्रतिलिपि जिसके द्वारा जमा किया गया था उसकी प्रतिलिपि संलग्न की जाये
- (ग) कर – दाता का नाम
- 6.हक अन्तरण करने के साधन
(1) रजिस्ट्रीकरण पंजीयन द्वारा
संपत्ति के मूल्य सहित रजिस्ट्रीकरण (पंजीयन) का दिनांक
- (2) लिखित द्वारा :-
संपत्ति के मूल्य सहित अन्तरण दिनांक
- (3) बिना लिखित के :-
संपत्ति के मूल्य सहित अन्तरण दिनांक
- उन व्यक्ति की जिसमें भूमि या भवन या भूमि भवन के भाग या अंश का हक निहित ही मूल्य हो जाने की स्थिति में ।
(1) मृतक का नाम
- (2) दायाद या समाभिहस्तांतरिणी का नाम ,पिता का नाम एवं पता
-
- (3) हक लेने का क्रमांक

हक वशानुक्रमांक द्वारा किया गया है या समाभिहस्तांतरण द्वारा

दिनांक

gLrkj.kdrkZ gLrkrfj.kh @nk; kn@l ekfHkgLrkrfj.kh ds gLrk{kj

$\frac{1}{4} \frac{1}{2}$ Hkou fuekzk dh fLFkfr	$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ {k=Qy Wufefr}	$\frac{1}{3} \frac{1}{2}$ çfr oxQW dk çLrkfor nj	$\frac{1}{4} \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{2}$ dk okf"kd HkkMk+ eW;
भूतल			
प्रथम तल			
द्वितीय तल			
तृतीय तल			
चतुर्थ एवं अन्य			
योग			
		वार्षिक भाड़ा मूल्य पर रख रखाव हेतु 10 % घटाइये	
		कुल योग वार्षिक भाड़ा मूल्य कालम नं. 8 में भरें ।	

संलग्न दस्तावेज

- (1) स्वामित्व
- (2) भवन मानचित्र
- (3) अन्य

I R; ki u

मैं _____ आत्मज _____ निवासी _____
यह सत्यापन करता हूँ कि विवरण में दी गई जानकारी सही है और यह कि मैंने जिस भवन के संबंध में विवरणी दी है उसका मैं स्वामी हूँ ।

भूमि स्वामी के हस्ताक्षर

dk; kly; uxj ikfyd fuxe]jk; ig ¼N-x-½
 राजस्व विभाग जोन क्रमांक ()
 (देखिये धारा 167 और वा.भा.मू. नियम 1977 का नियम 10)

ukekarj .k vk\$ dj fu/kk\$.k dh l ipuk

दिनांक

क्रमांक

प्रति

श्री _____

विषय:— नामांत्रण प्रकरण क्रमांकभवन क्रमांक के स्वामित्व खाना नाम परिवर्तन
 और कर निर्धारण बाबत ।

- 1/ आपका उपरोक्त नामांत्रण आवेदन राजस्व प्रभारी के आदेश दिनांक
 द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार डिमांड रजिस्टर में वार्ड क्र.के
 भवन क्र..... के स्वामित्व खाना में आपका नाम दर्ज किया गया है ।
- 2/ नामांत्रण आवेदन के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत स्व निर्धारण विवरणी के आधार पर उक्त
 भवन के संबंध में निम्नानुसार कर निर्धारण किया गया है:—

वर्षिक भाड़ा मूल्य
सम्पत्ति कर
अग्नि भामन कर
स्वच्छता कर
सामान्य जलकर
जलकर
निराश्रित उप कर
अतिरिक्त जलकर
योग

नोट:— यह कर निर्धारण दिनांकसे लागू होगा । उपरोक्त कर राशि 7 (सात)
 दिनों के भीतर जमा कर रसीद प्राप्त कर लें ।

çHkkjh ½jktLo½
 vufoHkkx Øekad &-----
 uxj ikfyd fuxe ¼N-x-½